कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 20.05.2026

जनपदीय पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना कोईरौना पुलिस व स्वाट टीम की सतर्कता और प्रभावी रणनीति के फलस्वरूप गांजा तस्करी करते हुए 04 अंतर्जराजीय अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, गिरफ्तारशुदा गाजा तस्करों के कब्जे से चार पहिया वाहन क्रेटा एवं ट्रक कंटेनर में कुल 604.20 किलोग्राम अवैध गाजा अनुमानित कीमत ₹3,02,50,000 (तीन करोड़ दो लाख पचास हजार रुपये) बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तारी का विवरण-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में जनपद के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी के पूर्णतया रोकथाम एवं तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गए निर्देशों के क्रम में दिनांक 19.05.2026 को श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना कोईरौना पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी सूचना पर जनपद के रास्ते अवैध गांजा तस्करी करने वाले 04 अंतर्जराजीय अभियुक्तों को ग्राम रैयापुर, भावापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा गाजा तस्करों के कब्जें से चार पहिया वाहन क्रेटा कार एवं ट्रक कंटेनर में कुल 604.20 किलोग्राम अवैध गाजा बरामद किया गया है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 88/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, 207 मोटर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार तस्करों द्वारा बताया गया कि हम लोग यह गांजा उड़ीसा प्रांत से लेकर चले थे। हम लोग उडी़सा से यह गांजा लाकर ऊंचे दामों में जो लोग, हम लोगों से मांगते हैं, जनपद भदोही एवं उसके आसपास जिले के लोगों को बेचते हैं, हम लोगो का गैंग लीडर त्रिशूल जायसवाल हैं, जिनके साथ हम लोग उनके कहनें पर उड़ीसा से अवैध गांजा लेकर आ रहें थे कि आप लोगो नें पकड़ लिया, हम लोगो को गांजा बिक्री से जो फायदा होता है उसको हम लोग आपस में बाटकर भौतिक व दुनियाबी लाभो में खर्च करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. त्रिशूल जायसवाल पुत्र विजय लाल निवासी टिकरी थाना माण्डा जिला प्रयागराज उम्र 64 वर्ष
2. बाबू राम मौर्या पुत्र रामनयन मौर्या निवासी मुतकल्ली थाना पवई जिला आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष
3. सुरेन धरई पुत्र दौला धरई निवासी कादो पाडा थाना रियामल जिला देवगढ (उड़ीसा) उम्र 24 वर्ष

4. मोन्टू साहू पुत्र प्रकाश साहू निवासी कादो पाडा थाना रियामल जिला देवगढ़ (उड़ीसा) उम्र 18 वर्ष
अवैध गांजा तस्करी में शेष वांछित अभियुक्तों की तलाश जारी है।

अपराधिक इतिहास:-

गांजा तस्करी गिरोह का सरगना अभियुक्त त्रिशूल जायसवाल पुत्र विजयलाल जायसवाल के विरूद्ध एनडीपीएस सहित अन्य आपराधिक मामलों से सम्बन्धित कुल 14 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

गिरफ्तारशुदा गाजा तस्करों के कब्जे से चार पहिया वाहन क्रेटा एवं ट्रक कंटेनर में कुल 604.20 किलोग्राम अवैध

गाजा बरामद-

गांजा की कीमत करीब - ₹3,02,50,000 (तीन करोड़ दो लाख पचास हजार रुपये)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

टीम-1 प्रभारी निरीक्षक रामनगीना यादव, उ0नि0 संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी कोईरौना, उ0नि0 अनिल कुमार सिंह चौकी सीतामढी व उ0नि0 प्रमोद कुमार राय, हे0का0 शैलेन्द्र सिंह यादव (चालक), का0 प्रवेश कुमार, का0 रामानन्द, का0 नीरज कुमार थाना कोईरौना जनपद भदोही।

टीम-2 उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट/सर्विलांस सेल, हे0कां0 राधेश्याम कुशवाहा, हे0कां0 धीरेन्द्र श्रीवास्तव, हे0कां0 बृजेश सूर्यवंशी,हे0कां0 नागेन्द्र यादव, कां0 गोपाल खरवार, कां0 नीरज यादव, कां0 राघवेन्द्र कुशवाहा,कां0 मन्नू सिंह, कां0 सुनील पाल, कां0 सुनील कन्नौजिया,कां0 हिमांशु सिंह, कां0 दीपक यादव, कां0 प्रत्युष पाठक समस्त सर्विलांस/स्वाट टीम।